उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्
बायोटेक भवन हल्दी, जिला–ऊधमसिंह नगर

निष्प्रयोज्य सामग्री की बोलीदाता से सम्बन्धित शर्ते

I. विक्रय हेतु प्रस्तावित निष्प्रयोज्य सामग्रियों का भौतिक अवलोकन/गुणवत्ता की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, बायोटेक भवन हल्दी से प्राप्त की जा सकती है।

II. बोलीदाता में जहाँ पर दरें प्रति लॉट मांगी गयी है, उसी प्रकार निविदा प्रपत्र में भरी/अंकित की जायें अन्यथा निविदा निरस्त/अमान्य की जा सकती है।

III. निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री, "माल जैसा है जहाँ है" के आधार पर की जायेगी तथा बोलीदाता के बाद गुणवत्ता या अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जायेगी।

IV. क्रय की गयी सामग्री पर देय वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान भी क्रेता को नियमानुसार अतिरिक्त देना होगा।

V. डाउनलोड किये जाने वाले निविदा प्रपत्र का शुल्क रू0 2,000.00 + वस्तु एवं सेवाकर 18% = रू0 2,360.00 मात्र **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, हल्दी जो केवल हल्दी में देय हो** का ड्राफ्ट जो Director, UCB, Project & Activity, Haldi के पक्ष में निर्गत तथा हल्दी में देय हो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

VI. निविदादाता द्वारा धरोहर राशि के रूप में रू0 10,000.00 मात्र (रूपये दस हजार मात्र) **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, हल्दी का ड्राफ्ट,** Director, UCB, Project & Activity, Haldi के नाम से बनाकर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम (H_1) निविदादाता के साथ–साथ उच्चतर (H_2) निविदादाता की धरोहर धनराशि को रोकते हुये शेष सभी निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि का ड्राफ्ट अगले 07 कार्य दिवसों में अनुरोध करने पर लौटा दिया जायेगा।

VII. निविदादाता द्वारा क्रय की गयी उच्चतम (H^1) निष्प्रयोज्य सामग्री किसी भी कारणवश न ले जाने/उठाये जाने पर उच्चतर (H^2) दर निविदा दाता द्वारा उच्चतम (H^1) की दरों पर सामग्री के क्रय हेतु यदि लिखित अनुरोध करता है तो निष्प्रयोज्य सामग्री/सम्बन्धित लॉट उच्चतर (H^2) निविदादाता को उठाने की अनुमति निदेशक, यू0सी0बी0 द्वारा कर दी जायेगी।

VIII. उच्चतम बोलीदाता को पूरे माल का 50% धनराशि निविदा खोले जाने/बोली छूटने के दिन ही अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस में जमा करनी होगी अन्यथा की दशा में जमा धरोहर राशि जो भी होगी जब्त कर ली जायेगी।

IX. क्रय किये गये माल/लॉट के पूरे मूल्य पर वस्तु एवं सेवा कर (GST), जो भी देय होगा, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त एवं क्रेता द्वारा पत्र प्राप्ति अथवा E-mail/Whatsapp प्राप्त होने पर निर्धारित तिथि के अन्दर क्रेता अपने स्तर से जमा कर, जमा रसीद की छायाप्रति उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद्, बायोटेक भवन हल्दी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें तथा पूरे क्रय किये गये माल का शेष मूल्य यू0सी0बी0 हल्दी के मुख्य खाते में जमा करने के उपरान्त क्रेता को क्रय माल/लॉट उठाना होगा।

X. यदि उच्चतम बोलीदाता निर्धारित समय के अन्दर माल नहीं उठाता है तो अगले 10 कार्य दिवस तक क्रय सामग्री में मूल्य का 10: अतिरिक्त भण्डार अधिभार जमा कराते हुए क्रय सामग्री उठाने की अनुमति निदेशक, यू0सी0बी0 द्वारा प्रदान की जा सकती है उसके उपरान्त भी क्रेता द्वारा माल न उठाने की दशा में उसकी धरोहर राशि तथा 50% जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

XI. निष्प्रयोज्य सामग्री की बिक्री हेतु गठित समिति को किसी भी निविदा को, जो समिति की दृष्टि में किसी भी कारण अयोग्य पाये जाने पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

XII. निदेशक, यू0सी0बी0 को, बिना कारण बताये, विज्ञापित तथा बिक्री की जाने वाली सामग्री को विक्रय करने/न करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा विक्रय की जाने वाली मात्रा को घटाया एवं बढ़ाया भी जा सकता है।

XIII. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर यू0सी0बी0 के निदेशक एक मात्र मध्यस्थ होगें जिनका निर्णय दोनो पक्षों (क्रेता तथा विक्रेता) को मान्य/स्वीकार करना होगा।

XIV. क्रेता जिसके नाम से निविदा स्वीकृत होगी क्रय किये गयी सामग्री को स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से ही उठा/प्राप्त कर सकता है।

XV. सामग्री/लॉट का उचित आरक्षित/निर्धारित मूल्य प्राप्त न होने पर समिति द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से सम्बन्धित सामग्री/लॉट की निविदा/बोली को निरस्त किया जा सकता है।

XVI. माल की ढुलाई, श्रम शक्ति एवं वाहन का प्रबन्ध स्वयं क्रेता को करना होगा। क्रेता द्वारा क्रय किये गये माल को उठाने, काटने, तोड़ने अथवा ले जाते समय यदि यू0सी0बी0 हल्दी की किसी भी प्रतिभूति की क्षति होती है तो उसकी आर्थिक भरपाई क्रेता को करनी होगी।

यू0सी0बी0, हल्दी